न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 72/2018 अपील

1. शिवनारायण पिता खूबचन्द बनाम धानका निवासी इन्द्रानगर मदार, जिला अजमेर

–अपीलार्थी

1. श्रीमती ममता देवी पत्नी प्रभूलाल मीणा निवासी गोदान का बाडा तहसील जहाजपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा

– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार, हुरडा बमामले नामान्तरकरण सं0 1145 ग्राम बड़ला निर्णय दिनांक 11.02.2017

उपस्थित –
1. श्री गोपाल सारस्वत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. प्रत्यर्थी सं. 01 उपस्थित नही – एक तरफा कार्यवाही
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाशक – प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.05.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार हुरडा नामान्तरकरण सं. 1145 निर्णय दिनांक 11.02.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य एक नियमित राजस्व वाद काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से प्रकरण सं. 15/2014 निर्णय दिनांक 06.07.2015 को विनिश्चय करते हुये डिक्री जारी की गयी। निर्णय व डिक्री में गणितज्ञ त्रुटि होने से वादी अपीलार्थी ने आदेश व डिक्री संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 152 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 31.01.2017 को अस्वीकार कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के आदेश व डिक्री के विरूद्व सक्षम न्यायालय आरएए भीलवाडा में विचाराधीन होने के उपरान्त भी प्रत्यर्थीगण की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा में हकरसी/ईजराय का आवेदन प्रस्तुत किये बिना ही तहसीलदार हुरडा के समक्ष निर्णय व डिक्री प्रस्तुत की गयी जिस पर तहसीलदार हुरडा ने नामान्तरकरण संस्थित कर निर्णित किया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी को नामान्तरकरण सं. 1145 की जानकारी दिनांक 02.06.2018 को प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि है, फिर भी विलम्ब अवधि को क्षमा करने के लिये दफा 05 कानून

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करायी जाकर नामान्तरकरण सं. 1145 ग्राम बड़ला निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त कराने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.07.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये जो दिनांक 20.08.2018 को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य एक नियमित राजस्व वाद काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से प्रकरण सं. 15/2014 निर्णय दिनांक 06.07.2015 को विनिश्चय करते हुये डिक्री जारी की गयी। निर्णय व डिक्री में गणितज्ञ त्रुटि होने से वादी अपीलार्थी ने आदेश व डिक्री संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 152 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 31.01.2017 को अस्वीकार कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के आदेश व डिक्री के विरूद्व सक्षम न्यायालय आरएए भीलवाडा में विचाराधीन होने के उपरान्त भी प्रत्यर्थीगण की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा में हकरसी/ईजराय का आवेदन प्रस्तुत किये बिना ही तहसीलदार हुरडा के समक्ष निर्णय व डिक्री प्रस्तुत की गयी जिस पर तहसीलदार हुरडा ने नामान्तरकरण संस्थित कर निर्णित किया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार करायी जाकर नामान्तरकरण सं. 1145 ग्राम बड़ला निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त कराने के आदेश प्रदान करावे।

विपक्षी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के प्रकरण सं. 15/2014 डिक्री आदेश दिनांक 06.07.2015 के विभाजन डिग्री आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा ने ग्राम बड़ला तहसील हुरडा के नामान्तरकरण सं. 1145 दिनांक 11.02.2017 को निर्णित किया जो उचित है। अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में यह अंकित नही किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ने अपने निर्णय व डिक्री आदेश में किस प्रकार की गणितज्ञ त्रुटि की है? एवं इससे अपीलार्थी को क्या हानि होती है? इसी प्रकार अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में यह भी अंकन नही किया है कि आर ए ए भीलवाडा में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नामान्तरकरण निर्णित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को दी गयी है या नहीं ? न ही अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमों के साथ एवं बहस के दौरान इस प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिससे जाहिर होता हो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के प्रकरण सं. 15/2014 के विरूद्व आर ए ए भीलवाडा में प्रकरण जैरकार है। अपीलार्थी न्यायालय को मात्र गुमराह करके प्रकरण को अनावश्यक लम्बित कर न्यायालय का समय जाया कर रहा है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज करायी

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जावे।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के प्रकरण सं. 15/2014 डिक्री आदेश दिनांक 06.07.2015 के विभाजन डिग्री आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा ने ग्राम बड़ला तहसील हुरडा के नामान्तरकरण सं. 1145 दिनांक 11.02.2017 को निर्णित किया जो उचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में यह अंकित नही किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ने अपने निर्णय व डिक्री आदेश में किस प्रकार की गणितज्ञ त्रुटि की है? एवं इससे अपीलार्थी को क्या हानि होती है ? इसी प्रकार अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में यह भी अंकन नही किया है कि आर ए ए भीलवाडा में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नामान्तरकरण निर्णित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को दी गयी है या नहीं ? न ही अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमों के साथ एवं बहस के दौरान इस प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिससे जाहिर होता हो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के प्रकरण सं. 15/2014 के विरूद्व आर ए ए भीलवाडा में प्रकरण जैरकार है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीालार्थी की अपील खारिज योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती हैं। तहसीलदार हुरडा के ग्राम बड़ला के नामान्तरकरण सं. 1145 निर्णय दिनांक 11.02.2017 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हुरडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)